फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

गंगाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा

केस्स मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 137 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.04.2018	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एक पक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि मौजा सांईयों का तला पटवार मण्डल लूनाड़ा तहसील बायतू में आई हुई है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि एवं पुरानी माठों एवं पुराने सेढे के सीमा चिन्ह को तोड़कर विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त पर अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने तथा सीणों की बाड़ करने एवं अन्य निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 23/05/2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी सांईयों का तला पटवार मण्डल लूनाड़ा तहसील बायतू के खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 1658, रकबा कमश 133.14 बीघा, भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं पूरानी माठों को तोड़कर विप्रार्थी किसी प्रकार की बाड़ तथा निर्माण कार्य नही करें, तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थी को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 23/05/2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

15/05/18 ~~विप्रार्थी~~ विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील
श्री नरपत रतनू द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली
आज पेशी तारीख पर तलब कर सुनवाई करने
बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी
अधिवक्ता को दी जाकर Noted करवाई गई
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली
आज पेशी तारीख पर तलब की गई विप्रार्थीगण
संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री नरपत रतनू
द्वारा वकालातनामा मय जवाब पेश किया गया
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थी-
गण संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी
गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा
निवेदन किया गया की प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा
मौजा: सांईयो का तला पटवार हल्का लूनाड़ा के
खेत खसरा नम्बर-1658 रकबा-133.14 बीघा की
भूमि के सम्बन्ध में दिनांक-23/04/18 को मौके की यथा-
स्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्राप्त कर
विप्रार्थीगणों को पाबन्द करवाया गया था। परन्तु विप्रार्थी-
गणों द्वारा अपने खातेदारी खेतों खसरा नम्बर 1661
व 1662/1925 की पूर्व में नेखमबन्दी करवाई जाकर
नेखम स्थापित करवाये गये जिसमें प्रार्थी श्री गंगाराम
के नेखमबन्दी फर्द पर हस्ताक्षर किये गये व सहमती
जाहिर की गई ~~बल्कि~~ विप्रार्थीगणों द्वारा न तो
प्रार्थी के खेतों में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं
की गई तथा न ही अनाधिकृत रूप से प्रार्थी को परेशान
किया गया है। ऐसी सूरत में विप्रार्थीगणों को प्रार्थी
द्वारा स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का कोई अधिकार
नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्राप्त एकतरफा स्थगन
आदेश दिनांक 23/04/18 को खारीज फरमाया जावे।
अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस सुनने व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय नेखसमबन्दी की गई मौका तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23/04/18 को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	